# FORM NO. III

**_फर्द अहकाम_**

(नियम 26)

## अज अदालत जिला कलक्टर चूरू

शान्तिदेवी बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर

किस्म मुकदमा स्थगन प्रार्थना-पत्र(राजस्व) संख्या.......26....... सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.07.2020 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीया की स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीया एक वृद्ध महीला है। जिसका रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही है। मौके पर रास्ता खुला हुआ है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध अतिक्रमण की गलत कार्यवाही की गई है। जिसको स्थगित किया जावें। वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया व स्थगन प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नही पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो की प्रार्थीया का अतिक्रमण नही है एवं जिसके आधार पर तहसीलदार बीदासर के निर्णय दिनांक 28.2.2020 की कार्यवाही को स्थगित किया जाए। स्थगन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने का कोई औचित्य नही है।<br>अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर में से कम की जाकर मूल प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न रहें।<br>(डॉ. प्रदीप के. गावंडे)<br>जिला कलक्टर, चूरू | |